डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 126-फ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2001—ज्येष्ठ 18, शक 1923

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2001

अधिसूचना

क्रमांक डी-1512/135/उ.शि./2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28, सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात :—

आदेश

1. (1) यह आदेश विधि का अनुकूलन आदेश, 2001 कहलाएगा.
   (2) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा, तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए (समस्त अधिनियम/नियम/विधियों) में शब्द "मध्यप्रदेश" एवं "भोपाल" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" एवं "रायपुर" स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट (अधिनियमों/नियमों/विधियों) या उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनूसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्रा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2001

क्रमांक डी-1512/135/उ.शि./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (तीन) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-1512/135/उ.शि./2001, दिनांक 8-6-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्रा, सचिव.

Raipur, the 8th June 2001

NOTIFICATION

No. D-1512/135/H.E./2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000). The State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation Law order, 2001.
   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Act and Rules as amended from time to time, specified in the Schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattigarh until repealed or amended. Subject to the modifications that in Act and Rules for the words " Madhya Pradesh," and " Bhopal " wherever they occur the word "Chhattisgarh" and "Raipur" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, modification, notice, order, rules form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Act/Rules specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S.No. (1)	Name of the Act (2)
1.	Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. S. MISHRA, Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.